सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री रमई राम
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वर्ष 2012-2013
के बजट की मांग संख्या - 40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का

वक्तव्य

मार्च, 2012

वर्ष 2012–13 के बजट की माँग सं0–40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भूमि प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, भू–अभिलेखों का नियमानुसार कालवद्ध रूप में निर्माण एवं संधारण तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्ग के सदस्यों को आवश्यकतानुसार आवास एवं जीविकोपार्जन एवं भूमि उपलब्ध कराने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के नेतृत्व में जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

सुशासन के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा समाज के महादलित वर्ग के साथ–साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए भूमि का सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़, प्रबंधन प्रारम्भ कर दिया गया है।

2. महादलित विकास योजना के अन्तर्गत अद्यतन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कुल–220729 वासरहित महादलित परिवारों को गैर मजरूआ मालिक/खास, गैर मजरूआ आम, बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत

बन्दोबस्ती एवं रैयती भूमि के क्रय द्वारा वास भूमि उपलब्ध कराये जाने का समग्र लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में गैर मजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा कुल–14787 वास रहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें 386.58 एकड़ भूमि सन्निहित है।

गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 13010 वासरहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई गई है जिसमें सन्निहित रकबा 331.50 एकड़ है।

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 5975 वासरहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई गई है जिसमें सन्निहित रकबा 174.98 एकड़ है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में वैसे वासरहित महादलित परिवार जिन्हें गैर मजरूआ मालिक/खास, गैर मजरूआ आम, बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वास भूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल–3286.00 लाख रूपये का बजट उपबन्ध किया गया है। बजट उपबन्ध की कुल राशि–3286.00 लाख रूपए राज्य के सभी जिलों को वासभूमि उपलब्ध कराने के इस स्रोत में अवशेष परिवारों के आलोक में राशि आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में अबतक कुल–1390.00 लाख रूपये का व्यय कर कुल– 8847 वासरहित परिवारों के लिए प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि का क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया गया है जिसमें कुल सन्निहित रकबा 265.41 एकड़ है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि के क्रय द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराने की योजना में उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट उपबंध की राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में अबतक व्यय की गयी राशि	भौतिक उपलब्धि	
			लाभान्वित परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
3286.00	3286.00	1390.00	8847	265.41

(ii) गृहस्थल योजना

राज्य में सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर), अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–I तथा एनेक्सर–II वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए 20,000.00 रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु गृहस्थल योजना राज्य में लागू हो गई है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1,500.00 लाख रूपए का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। अबतक जिलों द्वारा कुल–204.00 लाख रूपए का व्यय कर कुल–1022 परिवारों को इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराई गई है।

गृहस्थल योजनान्तर्गत उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2011–12

वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में अबतक व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	भौतिक उपलब्धि	
		लाभान्वित परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
1500.00	204.00	1020	30.60

(iii) सम्पर्क सड़क योजना

सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि के

अर्जन के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2011–12 में 925.62 लाख रूपए आवंटित की गई है। आवंटित राशि के विरूद्ध अबतक 229.85 लाख रूपए का व्यय कर अबतक 114 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 128 ग्राम/टोले/मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	पूर्ण हो गई योजनाएँ	ग्राम/टोले/मोहल्ले की संख्या जिन्हें सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया
925.62 लाख	229.85	114	128

(iv) सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजना

सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजनान्तर्गत राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए गृहस्थल हेतु रैयती भूमि के क्रय एवं अनुसूचित जाति के ग्रामों/टोलों/मोहल्लों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए रैयती भूमि के अर्जन दोनों योजना में सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 2011–12 में 74.38 लाख रूपए का बजट उपबन्ध रहने के कारण अनुसूचित जाति के लिए गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु राज्य के जिलों में 74.38 लाख रूपए आवंटित कर दी गई है, जिसके विरूद्ध अबतक 1.5986 लाख राशि व्यय की जा चुकी है।

(v) बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 राज्य में लागू है। इस अधिनियम की धारा–4(1) के अधीन अध्यक्ष, सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य प्रशासनिक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2011–12 में की गई है तथा उनके द्वारा पदभार भी ग्रहण कर लिया गया है। भूमि न्यायाधिकरण को क्रियाशील करने हेतु कार्यालय/ पदाधिकारी/कर्मी/वाहन इत्यादि की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जा रही है।

3. <u>नये अधिनियम / नियमावली / नीति</u>

(i) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011

(ii) बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011

(iii) बिहार भूमिगत पाईप लाईन (उपयोगकर्त्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011

<u>प्रक्रियाधीन अधिनियम एवं नीति</u>

(i) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012

(ii) बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012

4. वित्तीय वर्ष 2011–12 में अब तक स्वीकृत भूमि हस्तान्तरण के 75 मामलों में विभागों / निगमों एवं अन्य संस्थाओं को 650.207 एकड़ (650 एकड 20 डी0) भूमि हस्तान्तरित की गई है।

5. दाखिल–खारिज वादों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया है कि प्रत्येक अंचल में प्रत्येक माह के द्वितीय तथा चतुर्थ मंगलवार को एक ही स्थान पर माह में दो बार पंचायत स्तरीय राजस्व शिविरों का आयोजन कर दाखिल–खारिज वादों के साथ–साथ राजस्व सेवाधी अन्य मामलों का भी निष्पादन किया जाय। जिसके आलोक में लम्बित दाखिल–खारिज का निष्पादन त्वरित गति से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष	निष्पादित वादों की संख्या
2006 – 07	1867070
2007 – 08	803973
2008 – 09	974528
2009 – 10	891618
2010 – 11	642564
2011 – 12	754402

(ii) भू–लगान की वसूली न सिर्फ राजस्व की दृष्टि से वरन भूमि सम्बन्धी विवादों के निष्पादन एवं समाजिक शांति बनाये रखने में भी अहम भूमिका अदा करता है। वर्ष 2006–07 में 85 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध 46.48 करोड की वसूली कर लक्ष्य का 54.69 प्रतिशत प्राप्त किया गया था। वर्ष 2007–08 में कुल माँग 100 करोड़ के विरूद्ध 27.46 करोड़ रूपये की वसूली की गई, जो लक्ष्य का 27.45% है। वर्ष 2008–09 में कुल माँग 100 करोड़ के विरूद्ध 45.37 करोड़ रूपये की वसूली की जो लक्ष्य का 45.37% है। वर्ष 2009–10 में कुल लक्ष्य 110 करोड़ के विरूद्ध 39.16 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 35.60% है। वर्ष 2010–11 में कुल लक्ष्य 112 करोड़ के विरूद्ध 19.62 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 17.49% है। वर्ष 2011–12 में कुल माँग 140 करोड़ के विरूद्ध 28.03 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 20.02% है।

(iii) वर्ष 2006–07 में कुल 6867 सैरातों में से बन्दोबस्त सैरातों की सं0–4892 एवं राशि 442.33 लाख रूपया है। वर्ष 2007–08 में बन्दोबस्त सैरातों की सं0–3787 एवं राशि 460.36 लाख रूपया है। वर्ष 2008–09 में कुल सैरातों की संख्या–6071 में से बन्दोबस्त सैरातों की सं0–4422 एवं राशि 605.15 लाख रूपया है। वर्ष 2009–10 में कुल सैरातों की सं0–7928 में से बन्दोबस्त सैरातों की सं0–4406 एवं राशि 916.42 लाख रूपये है। वर्ष 2010–11 में कुल सैरातों की सं0–6927 में से बन्दोबस्त सैरातों की सं0–3368 एवं राशि 9,49,11,736.00 है। वर्ष 2011–12 में कुल सैरातों की सं0–6903 में से बन्दोबस्त सैरातों की सं0–3607 एवं राशि 19,23,31,546.00 (उन्नीस करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार पाँच सौ छयालीस रू0) मात्र रूपये है।

(iv) वर्ष 2006–07 में 40616 निलाम–पत्र वादों में 148.90 करोड़ रूपया की वसूली की गई। वर्ष 2007–08 में कुल 22773 निलाम–पत्र वादों में 104.66

करोड़ रूपया की वसूली की गई है। वर्ष 2008–09 में कुल 106.77 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2009–10 में कुल 69.53 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2010–11 में कुल 49.65 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2011–12 में कुल 5589.18 करोड़ रूपये की वसूली की गई।

6. कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद है। सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वव्यापी उपयोगिता के मद्देनजर भू–अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण सहित समग्र भूमि प्रबंधन व्यवस्था में इसे समाहित करते हुए एक व्यापक भूमि संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण, खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितों की रक्षा की जाती है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त विधेयक, 2011 के द्वारा राज्य के समस्त ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के भू–खंडो का आधुनिक तकनीक से अद्यतन खतियान तथा मानचित्र तैयार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य के 13 जिलों यथा नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सीवान, गोपालगंज, पूर्णियाँ तथा कटिहार में इस कार्यक्रम के द्वारा अद्यतन खतियान तैयार किए जाएँगे। अद्यतन अभिलेखों के संधारण हेतु उपर्युक्त जिलों के सभी अंचलों में डाटा केन्द्र –सह– आधुनिक अभिलेखागार स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आधुनिक तकनीक से संबंधित कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में एक सेल का गठन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्व से उपलब्ध बन्दोबस्त कार्यालयों को पुनर्गठित करते हुए उपर्युक्त सभी 13

जिलों में बन्दोबस्त कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए समेकित रूप से 12,680.69 लाख रूपये का व्यय राज्य योजना मद से अनुमानित है।

राष्ट्रीय भू–अभिलेखों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम (The National Land Records Modernization Programme - NLRMP) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित एवं स्वीकृत योजना है। इसके अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है।

NLRMP में निम्नलिखित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है :–

(i) भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण 100% केन्द्रीय अनुदान पर आधारित योजना है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम किए जाने है :–

(a) डाटा इन्ट्री / री–डाटा इन्ट्री / डाटा कनवर्जन

(b) जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर डाटा केन्द्रों की स्थापना

(c) राजस्व कार्यालयों के बीच अन्तः सम्बद्धीकरण (Interconnectivity) एवं

(d) सर्वे मानचित्रों की डिजिटाईजेशन।

(ii) आधुनिक तकनीक से रिविजनल सर्वे तथा सर्वे एण्ड सेटलमेंट अभिलेखों का अद्यतीकरण (50–50% मैचिंग ग्रांट पर आधारित)।

(iii) अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार / भू–अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण (50–50% मैचिंग ग्रांट पर आधारित)।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय अनुदान / अंशदान के रूप में 3173.12 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया है। राज्य योजना मद से भी 3210.83 लाख रूपये उपलब्ध कराए गए है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर के माध्यम से भू–अभिलेखों का संधारण, अद्यतीकरण तथा अद्यतन अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत प्रति आम रैयतों को उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के द्वारा वर्षो पूर्व संधारित भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए इसे सी0डी0 में संधारित किया जायगा क्योंकि हस्तलिखित अभिलेख लगातार इस्तेमाल में लाए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे है।

पूर्व में संचालित भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विगत साढ़े चार वर्षो में राज्य के कुल 45740 राजस्व ग्रामों में से 21906 राजस्व ग्रामों के डाटा इन्ट्री का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य में कुल 485.93 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

राज्य के 516 अंचलों में कम्प्यूटर के माध्यम से खतियान के संधारण, अद्यतीकरण तथा वितरण के उद्देश्य से केन्द्रीय अनुदान की राशि 1960.80 लाख रूपये बेलट्रॉन को उपलब्ध कराते हुए हार्डवेयर की आपूर्त्ति, अधिष्ठापन, वायरिंग एवं नेटवर्किंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक अंचल में एक–एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बेलट्रॉन के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। भविष्य में ऑन लाईन दाखिल– खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए डाटा ऑन लाइन करने की योजना है।

सर्वे मानचित्रों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी अंचल के 1152 सर्वे मानचित्रों को डिजिटाइज्ड किया गया। पुनः दूसरे चरण में भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर जिले के 14,672 सर्वे मानचित्रों को खतियान के डाटा के साथ इंटिग्रेट करने की भी योजना है। उपर्युक्त चार जिले के सभी अंचलों में डिजिटाईजेशन कार्य हेतु सॉफ्टवेयर स्थापित किया जाएगा जिसके फलस्वरूप सुलभता से राजस्व मानचित्रों की

आपूर्त्ति की जा सकेगी। सम्प्रति डिजिटाइज्ड मानचित्रों का मूल मानचित्रों से सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। सत्यापन के उपरान्त अंचलवार सॉफ्टवेयर एवं मानचित्रों की सी0डी0 उपलब्ध करा दी जाएगी।

7. पंचायत तथा राजस्व हल्को को एक समान (Coterminous) होने के उपरान्त राजस्व कर्मचारी के 4,418 पदों का सृजन किया गया है। इस पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

क्षेत्रीय हल्का कार्यालयों के राजस्व कर्मचारियों की भर्त्ती एवं अन्य सेवा–शर्त्तों को विनियमित करने के लिए, बिहार राजस्व कर्मचारी सम्वर्ग नियमावली का गठन किया गया है।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त 170 सहायक चकबंदी पदाधिकारीयों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा के आलोक में कुल 110 उपस्थित उम्मीदवारों की नियुक्ति एवं पदस्थापन अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर की गई। शेष 60 उम्मीदवारों की अधियाचना की माँग बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से भी की गई है।

अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पदों की वरीयता निर्धारण हेतु औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित विभागीय पत्रांक–03(4)/रा0, दिनांक–04.01.2012 एवं पत्रांक–7(4)/रा0, दिनांक–04.01.2012 द्वारा कराकर आपत्ति की माँग की गयी है। आपत्ति प्राप्त होने पर वरीयता निर्धारण कर दी जायेगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों से कोटिवार आरक्षण रोस्टर के अनुसार अमीन के रिक्त पदों पर संकलित कर विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशन कर कुल 312 (तीस सौ बारह) अमीन का नियोजन संविदा पर करने हेतु विभागीय पत्रांक–446(4)/रा0, दिनांक–04.11.2011 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है।

8. वित्तीय वर्ष 2011–12 यथा दिनांक 01.04.2011 से 31.01.2012 तक विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु अर्जित भूमि का विवरणः–

क्रमांक	परियोजना का नाम	कुल रकवा (एकड़ में)
1	2	3
1	रेलवे परियोजना	323.462
2	टी0पी0पी0 (बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय)	3332.895
3	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर परियोजना, कांटी	344.81
4	एन0टी0पी0सी0(बी0आर0बी0सी0एल0), औरंगाबाद	4.45
5	एन0पी0जी0सी0, औरंगाबाद	503.9647
6	पावर ग्रीड	19.21
7	एस0 एस0 बी0	119.679
8	बिहटा–सरमेरा रा0उ0 पथ, पटना	404.6
9	चण्डी–सरमेरा रा0उ0 पथ, नालन्दा	347.64
10	बागमती तटबंध	103.8
11	अन्य परियोजना	426.34313
	योग :–	**5930.85383**

(ख) वित्तीय वर्ष 2012–13 में अधियाची विभाग/प्राधिकार से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन के भावी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवरणी :–

1. अररिया–गलगलिया नई बड़ी रेल लाईन
2. दरभंगा– कुशेश्वर स्थान नई बड़ी रेल लाईन
3. बरियारपुर– मननपुर नई बड़ी रेल लाईन
4. गया–चतरा नई बड़ी रेल लाईन
5. गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ–पटना– समस्तीपुर

6. गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ–सारण– भोजपुर

7. कोशी नदी पर बलुआ धाट गंडौल पुल एवं सम्पर्क पथ निर्माण (सहरसा)

9. <u>चकबंदी :</u>

जोतों की चकबंदी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के पाँच जिलों के निम्नलिखित कुल 39 अंचलों में सक्रिय रूप से कार्य जारी है :–

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमराँव	1. मोहनियां	1. सासाराम	1. कटैया
2. संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभुआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. इटाढ़ी	3. चाँद	3. नासरीगंज	
4. बिहिंया	4. सिमरा	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नावानगर	5. दुर्गावती	5. बिक्रमगंज	
6. उदवन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

वर्ष 2012–13 में 150 ग्रामों में चकबंदी कार्य पूर्ण कर उन्हें चकबंदी अधिनियम की धारा–26(क) के अन्तर्गत अनधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्वगों के कुल 745 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में 105 ग्रामों में चकबंदी कार्य पूर्ण कर अधिनियम की धारा–26(क) के अन्तर्गत अनधिसूचित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु 2,000 लाख रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

10. वित्तीय वर्ष 2012–2013 में, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होगी।

उक्त राशि से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु डिसप्ले बोर्ड का अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/जेनरेटर के ईंधन पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों के कार्यों पर व्यय किया जायेगा।

11. राज्य अन्तर्गत भूदान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 एकड़ में से 3,44,864.63 एकड़ भूमि सम्पुष्ट की गयी है। अभी तक 2,55,680.32 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 7,465.65 एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमिटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे भूदान भूमि के वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यों पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। वर्ष 2011–12 में भूदान यज्ञ

कमिटी को सहाय्य अनुदान मद में 1,43,78,000 रूपये का बजट उपबंध किया गया था। वर्ष 2012–13 में भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सहाय्य अनुदान हेतु 1,43,78,000 रू0 मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

12. कृषि गणना शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना है जिसके अन्तर्गत औपरेशनल होल्डिंग को गणना की इकाई मानकर राज्य के सभी औपरेशनल होल्डिंग के लिए कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं यथा जोतों की संख्याँ एवं क्षेत्रफल भू–उपयोग सिंचाई की स्थिति, विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र, जोतों के प्रसार आदि से सम्बन्धित आँकड़े संग्रहित किये जाते हैं जो योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोगी है।

केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना कृषि गणना के लिए योजना मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में 50.40 लाख का उपबन्ध है जो मुख्यतः स्थापना मद में वेतन भत्तों आदि पर व्यय किया जाना है।

राज्य में नौवीं कृषि गणना संदर्भ वर्ष 2010–11 को कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा इस कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले प्रपत्रों/अनुसूचियों का मुद्रण का कार्य सरकारी प्रेस, प्रेस एण्ड फार्म्स, गया को आवंटित है, जहाँ से अलग–अलग जिलों द्वारा मुद्रित प्रपत्रों की आपूर्ति प्राप्त कर क्षेत्रीय कार्य आरम्भ किया जा चुका है। यह प्रयास किया जा रहा है कि कृषि गणना का कार्य अपेक्षित गुणवत्ता के साथ ससमय सम्पन्न करा लिया जाय।

13. वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं तथा एतदर्थ कर्णाकिंत राशि की जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहूँगा।

क्रमांक	योजना का नाम	राशि (रू0लाख में)
1	भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण	7200
2	जोतों का चकबंदी	2018
3	गृह विहिनों के लिए वासगीत भूमि सम्पर्क सड़क	1000
4	महादलित विकास योजना	3286
5	भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के लिए न्यायालय / कार्यालय निर्माण की योजना	136.21
	कुल योग :–	**13640.21**

इस प्रकार राजस्व प्रशासन के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपलब्धियों को प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हमें आशा है कि अपने इस प्रयास में लक्ष्य के अनुरूप ही नहीं बल्कि उससे अधिक सफलता प्राप्त करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा। उसकी पूर्त्ति के लिए 4,91,04,21,000 (चार अरब एकानवे करोड़ चार लाख इक्कीस हजार रूपये मात्र) से अनाधिक राशि प्रदान की जाय।

धन्यवाद !